

पर्चा डिक्री

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,
जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

पिन - 238/2023

पक्ष :-

अलीशेर पुत्र अमीन खॉ जाति मुसलमान निवासी तलवाडाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

मोहम्मद शेर खॉ पुत्र अमीन खॉ जाति मुसलमान निवासी तलवाडाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

वादीगण

बनाम्

1. जरीनबेगम पत्नी फतहशेर खॉ अकवाम मुसलमान निवासीयान तलवाडाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

इलयास खान पुत्र फतहशेर खॉ मुसलमान निवासीयान तलवाडाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

रिफाकत खान पुत्र फतहशेर खॉ मुसलमान निवासीयान तलवाडाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

नसरीन पत्नी रियासतखान पुत्री गुलाम दस्तगीर जाति मुसलमान नि. मुगलमंजिल के सामने वार्डनं 67, फड़ बाजार चौराहा, कुचीलपुरा, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर ।

5. अनम पुत्री रियासत खान आयु 7 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वली माता नसरीन पत्नी रियासतखान पुत्र गुलाम दस्तगीर जाति मुसलमान निवासी मुगल मंजिल के सामने वार्डनं 67, फड़बाजार चौराहा, कुचीलपुरा, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर ।

6. समायरा पुत्री रियासत खान आयु 6 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वली माता नसरीन पत्नी रियासतखान पुत्र गुलाम दस्तगीर जाति मुसलमान निवासी मुगल मंजिल के सामने वार्डनं 67, फड़ बाजार चौराहा, कुचीलपुरा, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर ।

7. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक... 16/10/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री अब्दुल सतार जोईया व वकील प्रतिवादी श्री सुखवीर सिंह व श्योकअली अधिवक्ता अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साधित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है

प्रतिवादी अलीशेर खॉ को प्राप्त आराजी- चकनं 1 टी.एल.डबल्यू ए जमाबन्दी खाता संख्या 64/70 के पिन 238/304 मु 67 किलानं 3/0.2400 है, 4/0.2530 है, 7/0.2530 है, 8/0.2020 है कुल 0.9480 है



खाना सं 1 टी.एल.डबल्यू जमाबन्दी खाता संख्या 57/64 के पन 237/303 मु 48 किलानं 0.2530 है, 20/0.2530 है, 21/0.2530 है कुल 0.7590 है

खाना सं 5 टी.एल.डबल्यू जमाबन्दी खाता संख्या 76/88 के पन 228/292 मु 93 किलानं 5/1/0.1270 है, 12/0.2530 है कुल 0.480 है तीनों चकों की कुल 2.087 है आराजी

ख. वादी मोहम्मद शेर खी को प्राप्त आराजी:- चक 5 टी.एल.डबल्यू जमाबन्दी खाता सं 76/88 के पन 229/291 मु 79 किलानं 5/1/0.1900 नहरी, 5/2/0.0380 है मैंगु रास्ता, 5/3/0.0250 मैंगु खाला, 6/1/0.2280 नहरी, 6/2/0.0250 मैंगु खाला, 7/0.2530 नहरी, 14/0.2530 नहरी, 15/1/0.2280 नहरी, 15/2/0.0250 मैंगु खाला, 17/1/0.1270 नहरी, कुल 1.391 है मय मैंगु, पन 230/291 मु 78 किलानं 10/0.253 नाली पन 228/292 मु 93 किलानं 14/0.2530 है कुल 1.897 है आराजी मय मैंगु।

चक 2 टी.एल.डबल्यू जमाबन्दी खाता सं 22/21 के पन 228/293 मु 2 किलानं 5/2/0.1270 है, 6/0.2530 है, 7/0.2530 है, 8/0.2530 है, 9/0.2530 है कुल 1.139 है

चक 5 टी.एल.डबल्यू जमाबन्दी खाता सं 76/88 पन 229/292 मु 94 किलानं 11/0.2530 है, 20/0.2530 है कुल 0.506 है दोनो चकों की कुल 1.645 है आराजी के 3/4 हिस्सा में प्रसिदादी सं 1 ता 3 बहिब्य हक व हिस्सा के मुताबिक आराजी का खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम की जावे व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इतरक प्रथम पत्र के रसलान 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। तहसीलदार टिकी की आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद क्या किसी स्थान न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करे। खर्च उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह चक टिकी आज दिनांक 16/10/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



24
(सहायक न्यायाधीश प्रथम पत्र)
उपस्थित न्यायाधीश (राजस्व)
एवं सहायक कलेक्टर
टिब्बी